



MICROFINANCE INSTITUTIONS NETWORK

MICROFINANCE INSTITUTIONS NETWORK

Media Visibility Report

Microfinance Crucial to Financial Inclusion

State: Madhya Pradesh

Prepared by:



S.No	Publication Name	Edition
1	Navbharat	Jabalpur
2	Raj Express	Indore
3	Digital India	Jabalpur
4	Hindi Express	Indore
5	Pradesh Watch	Jabalpur
6	Swatantra Mat	Bhopal
7	Agniban	Indore
8	Jaylok	Indore
9	Dainik Jagran	Indore
10	Navbharat	Mandla

Date	1 January, 2020
Publication	Navbharat
Edition	Indore, Madhya Pradesh
Page No.	9

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है, जो कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। एमएफआईएन में हम अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी, एमएफआई, बैंक, स्मॉल फाइनेंस लघु वित्त, बैंक, एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी एमएफआई के लिए मान्यता प्राप्त सेल्फरेग्युलेटरी बॉडी स्व.नियामक निकाय है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं, जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुँच नहीं होती है। जैसा कि आरबीआई द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है बिना किसी कोलैटरल के यह आय.उत्पादक लोन महत्वपूर्ण तौर पर आकार में काफी छोटे होते हैं। माइक्रोफाइनेंस की भूमिका पर बात करते हुए, हर्ष श्रीवास्तव, सीईओ.एफ एफआईएन कहते हैं माइक्रोफाइनेंस की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भारत में एक ऐसी बढ़ी आबादी का मौजूद होना था जिनके पास न बैंक थे और न कोई वित्तीय सेवाएं। देश की विशालता और निम्न आय वाले परिवारों को लोन प्रदान करने में असमर्थता के कारण भारत सरकार ने वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोफाइनेंस को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी। माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सक्षम होने के लिए एनबीएफसी, एमएफआई कहलाने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। बहुत ही कड़ाई से विनियमित ये संस्थान लोन देने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और नीतियों का पालन करते हैं, और इनकी निगरानी तीन अलग-अलग स्तरों पर की जाती है, अर्थात् कंपनी एसआरओ और आरबीआई के स्तर पर।

Date	1 January, 2020
Publication	Raj Express
Edition	Indore, Madhya Pradesh
Page No.	12

वित्तीय समावेश के लिए जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

मुंबई। पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है, जो सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। एमएफआईएन में अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी-एमएफआई, बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएन आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं, जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुंच नहीं होती है। हर्ष श्रीवास्तव, सीईओ एफएफआईएन कहते हैं, माइक्रोफाइनेंस की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भारत में एक ऐसी बड़ी आबादी का मौजूद होना था जिनके पास न बैंक थे और न कोई वित्तीय सेवाएं। मध्यप्रदेश में लगभग 22.7 लाख महिला ऋणी हैं जिन्होंने इस राशि को विभिन्न व्यवसायों में निवेश किया है, जैसे सब्जी की दुकान, सिलाई आदि। हम गर्व महसूस करते हैं कि माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से ये महिलाएं न केवल अधिक आय उत्पन्न करने में सक्षम हुई हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएं वर्तमान में लोन ले रही हैं, वे क्रेडिट अनुशासन का पालन करें ताकि भविष्य में लोन प्राप्त करने की उनकी गारंटी बनी रहे।

Date	2 January, 2020
Publication	Digital India
Edition	Jabalpur, MP
Page No.	4

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रो फाइनेंस

जबलपुर। एमएफआईएन में हम अपने उद्योग संघ के रूप में एन बीएफ सी.एम एफ आई बैंक स्मॉल फाइनेंस लघु वित्त बैंक एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एन बी एफ सी.एम एफ आई के लिए मान्यता प्राप्त सेल्फ रेग्युलेटरी बॉडी स्व. नियामक निकाय है। ये माइक्रो फाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं। जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुँच नहीं होती है। जैसा कि आरबीआई द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है। माइक्रो फाइनेंस की भूमिका पर बात करते हुए हर्ष श्रीवास्तव, सीईओ.एमएफआईएन कहते हैं माइक्रोफाइनेंस की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भारत

में एक ऐसी बड़ी आबादी का मौजूद होना था जिनके पास न बैंक थे और न कोई वित्तीय सेवाएं। देश की विशालता और निम्न आय वाले परिवारों को लोन प्रदान करने में असमर्थता के कारण भारत सरकार ने वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रो फाइनेंस को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी। माइक्रो फाइनेंस प्रदान करने में सक्षम होने के लिए एनबीएफसी-एमएफआई कहलाने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। श्रीवास्तव ने आगे कहा मध्यप्रदेश में लगभग 22.7 लाख महिला ऋणी हैं जिन्होंने इस राशि को विभिन्न व्यवसायों में निवेश किया है जैसे सब्जी की दुकान, सिलाई इत्यादि। एनबीएफसी-एमएफआई

एमएफआईएन के साथ-साथ आरबीआई के पास भी हेल्पलाइन हैं जिनका उपयोग किसी भी लोन लेने वाले के द्वारा अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज करने तथा इसकी जाँच करने के लिए किया जा सकता है। 30 सितंबर 2019 की स्थिति में कुल लोन पोर्टफोलियो जीएलपी बकाया 2,01,724 करोड़ रुपये रही जो 50 मिलियन से अधिक अंतिम ग्राहकों को सेवा दे रहा है। जिनमें से 99 से अधिक महिलाएं हैं। इस प्रकार माइक्रो फाइनेंस ने न केवल ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका विकसित करने में मदद की है बल्कि इसने एकांत जिलों को देश के आर्थिक विकास में शामिल करने के लिए भी वित्तीय साक्षरता और टेक्नोलोजी तकनीक का उपयोग किया है।

Date	2 January, 2020
Publication	Hindi Express
Edition	Indore, MP
Page No.	4

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

मुम्बई, नि.सं.। पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है, जो कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है।

एमएफआईएन में, हम अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी-एमएफआई, बैंक, स्मॉल फाइनेंस (लघु वित्त) बैंक, एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मान्यताप्राप्त सेल्फ-रेग्युलेटरी बॉडी (स्व-नियामक निकाय) है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को, तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं, जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुँच नहीं होती

है। जैसा कि आरबीआई द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है, बिना किसी कोलैटरल के यह आय-उत्पादक लोन, महत्वपूर्ण तौर पर आकार में काफी छोटे होते हैं।



माइक्रोफाइनेंस की भूमिका पर बात करते हुए, हर्ष श्रीवास्तव, सीईओ-एफएफआईएन, कहते हैं, "माइक्रोफाइनेंस की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भारत में एक ऐसी बड़ी आबादी का मौजूद होना था जिनके पास न बैंक थे और न कोई वित्तीय सेवाएं। देश की विशालता और निम्न आय वाले

परिवारों को लोन प्रदान करने में असमर्थता के कारण, भारत सरकार ने वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोफाइनेंस को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी। माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सक्षम होने के लिए एनबीएफसी-एमएफआई कहलाने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। बहुत ही कड़ाई से विनियमित ये संस्थान लोन देने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और नीतियों का पालन करते हैं, और इनकी निगरानी तीन अलग-अलग स्तरों पर की जाती है, अर्थात् कंपनी, एसआरओ और आरबीआई के स्तर पर।"

Date	2 January, 2020
Publication	Pradesh Watch
Edition	Jabalpur, MP
Page No.	2

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

जबलपुर, संवाददाता। पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है, जो कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। एमएफआईएन में, हम अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी-एमएफआई, बैंक, स्मॉल फाइनेंस (लघु वित्त) बैंक, एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मान्यताप्राप्त सेल्फ-रेग्युलेटरी बॉडी (स्व-नियामक निकाय) है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को, तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं, जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुंच नहीं होती है। जैसा कि आरबीआई द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है, बिना किसी कोलैटरल के यह आय-उत्पादक लोन, महत्वपूर्ण तौर पर आकार में काफी छोटे होते हैं। माइक्रोफाइनेंस की भूमिका पर बात करते हुए, हर्ष श्रीवास्तव, सीईओ-एफएफआईएन, कहते हैं, “माइक्रोफाइनेंस की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भारत में एक ऐसी बड़ी आबादी का मौजूद होना था जिनके पास न बैंक थे और न कोई वित्तीय सेवाएं। देश की विशालता और निम्न आय वाले परिवारों को लोन प्रदान करने में असमर्थता के कारण, भारत सरकार ने वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोफाइनेंस को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी। माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सक्षम होने के लिए एनबीएफसी-एमएफआई कहलाने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ पंजीकृत होना जरूरी है।

Date	2 January, 2020
Publication	Swatantra Mat
Edition	Bhopal, MP
Page No.	10

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

भोपाल।

पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा जो कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। एमएफआईएन में हम अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी, एमएफआईए बैंक स्मॉल फाइनेंस ;लघु वित्त बैंक एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएनए भारतीय रिज़र्व

बैंक द्वारा एनबीएफसी, एमएफआई के लिए मान्यताप्राप्त सेल्फ, रेग्युलेटरी बॉडी ;स्व.नियामक निकायद्ध है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुँच नहीं होती हैं। जैसा कि आरबीआई द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है बिना किसी कोलैटरल के यह आय.उत्पादक लोन महत्वपूर्ण तौर पर आकार में काफी छोटे होते हैं।

Date	3 January, 2020
Publication	Agniban
Edition	Indore, Madhya Pradesh
Page No.	9

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

एजेंसी। पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है, जो कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। एमएफआईएन में, हम अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी-एमएफआई, बैंक, स्मॉल फाइनेंस (लघु वित्त) बैंक, एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएन, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मान्यताप्राप्त सेल्फ-रेग्यूलेटरी बॉडी (स्व-नियामक निकाय) है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को, तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं, जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुँच नहीं होती है।

Date	3 January, 2020
Publication	Jaylok
Edition	Indore, Madhya Pradesh
Page No.	6

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

(एस) पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है, जो कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। एमएफआईएन में, हम अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी-एमएफआई, बैंक, स्मॉल फाइनेंस (लघु वित्त) बैंक, एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मान्यताप्राप्त सेल्फ-रेग्यूलेटरी बॉडी (स्व-नियामक निकाय) है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को, तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं, जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुँच नहीं होती है। जैसा कि आरबीआई द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है, बिना किसी कोलैटरल के यह आय-उत्पादक लोन, महत्वपूर्ण तौर पर आकार में काफी छोटे होते हैं। माइक्रोफाइनेंस की भूमिका पर बात करते हुए, हर्ष श्रीवास्तव, सीईओ-एफएफआईएन, कहते हैं, “माइक्रोफाइनेंस की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भारत में एक ऐसी बड़ी आबादी का मौजूद होना था जिनके पास न बैंक थे और न कोई वित्तीय सेवाएं। देश की विशालता और निम्न आय वाले परिवारों को लोन प्रदान करने में असमर्थता के कारण, भारत सरकार ने वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोफाइनेंस को एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में मान्यता दी।

Date	9 January, 2020
Publication	Dainik Jagran
Edition	Indore, Madhya Pradesh
Page No.	9

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

मुंबई, जेएनएन। पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है, जो कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। एमएफआईएन में, हम अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी-एमएफआई, बैंक, स्मॉल फाइनेंस (लघु वित्त) बैंक, एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं। एमएफआईएन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी-एमएफआई के लिए मान्यता प्राप्त सेल्फ-रेग्युलेटरी बॉडी (स्व-नियामक निकाय) है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को, तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं, जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुंच नहीं होती है। जैसा कि आरबीआई द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है, बिना किसी कोलैटरल के यह आय-उत्पादक लोन, महत्वपूर्ण तौर पर आकार में काफी छोटे होते हैं।

Date	10 January, 2020
Publication	Navbharat
Edition	Mandla, Madhya Pradesh
Page No.	10

वित्तीय समावेश के लिए बहुत जरूरी है माइक्रोफाइनेंस

मंडला। पिछले दो दशकों से माइक्रोफाइनेंस वित्तीय समावेश को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन कर उभरा है, जो कि सरकार का एक प्रमुख उद्देश्य है। एमएफआईएन में हम अपने उद्योग संघ के रूप में एनबीएफसी, एमएफआई, बैंक, स्मॉल फाइनेंस लघु वित्त, बैंक, एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं को दर्शाते हैं।

एमएफआईएन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एनबीएफसी एमएफआई के लिए मान्यता प्राप्त सेल्फरेग्युलेटरी बॉडी स्व.नियामक निकाय है। ये माइक्रोफाइनेंस संस्थाएं कम आय वाले लोगों को ए तथा आबादी के वित्तीय रूप से वर्जित समूह को लोन प्रदान करती हैं, जिनकी अन्यथा वित्तीय सेवाएं तक पहुंच नहीं होती है। जैसा कि आरबीआई द्वारा इसे अनिवार्य किया गया है बिना किसी कोलैटरल के यह आय.उत्पादक लोन महत्वपूर्ण तौर पर आकार में काफी छोटे होते हैं। माइक्रोफाइनेंस की भूमिका पर बात करते हुए, हर्ष श्रीवास्तव, सीईओ.एफएफआईएन कहते हैं माइक्रोफाइनेंस की उत्पत्ति का सबसे प्रमुख कारण भारत में एक ऐसी बड़ी आबादी का मौजूद होना था जिनके पास न बैंक थे और न कोई वित्तीय सेवाएं। देश की विशालता और निम्न आय वाले परिवारों को लोन प्रदान करने में असमर्थता के कारण सरकार ने वित्तीय समावेश को सुनिश्चित करने के लिए माइक्रोफाइनेंस को एक महत्वपूर्ण साधन

के रूप में मान्यता दी। माइक्रोफाइनेंस प्रदान करने में सक्षम होने के लिए एनबीएफसी.एमएफआई कहलाने वाले माइक्रोफाइनेंस संस्थान को भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई के साथ पंजीकृत होना जरूरी है। बहुत ही कड़ाई से विनियमित ये संस्थान लोन देने के लिए आरबीआई द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों और नीतियों का पालन करते हैं, और इनकी निगरानी तीन अलग-अलग स्तरों पर की जाती है, अर्थात् कंपनी एसआरओ और आरबीआई के स्तर पर।

श्री श्रीवास्तव ने आगे कहा मध्यप्रदेश में लगभग 22.7 लाख महिला ऋणी हैं जिन्होंने इस राशि को विभिन्न व्यवसायों में निवेश किया है जैसे सब्जी की दुकान सिलाई इत्यादि। हम गर्व महसूस करते हैं कि माइक्रोफाइनेंस के माध्यम से ये महिलाएं न केवल अधिक आय उत्पन्न करने में सक्षम हुई हैं बल्कि दूसरों को भी रोजगार प्रदान कर रही हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएं वर्तमान में लोन ले रही हैं वे क्रेडिट अनुशासन का पालन करें और समय पर संस्थानों को लोन चुकाना सुनिश्चित करें ताकि क्रेडिट ब्यूरो के साथ उनके रिकॉर्ड साफसुथरे रहें और भविष्य में लोन प्राप्त करने की उनकी गारंटी बनी रहे।

वास्तव में चिट फंड और पैसे उधार देने के तौर पर वित्तीय मदद के पारंपरिक असंगठित तरीकों की तुलना में सभी एनबीएफसी एमएफआई आरबीआई के साथ

पंजीकृत तथा विनियमित होते हैं। आज भी, वित्त व्यवस्था का यह असंगठित रूप यद्यपि लगातार कम होता जा रहा है। ग्रामीण जीवन को प्रभावित कर रहा है। ग्राहक की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध आरबीआई के प्रेमवर्क रूपरेखा में लोन के मूल्य निर्धारण पर नियम और उधारी के लिए उचित व्यवहार आते हैं, जिसमें ब्याज दरों में पारदर्शिताएं कई बार लोन अत्यधिक लोन आदि शामिल हैं। लोन लेने वाले के लिए लोन अनुशासन सुनिश्चित करना बहुत ही जरूरी है जैसा कि क्रेडिट ब्यूरो द्वारा निर्धारित किया गया है और ये अन्य क्रेडिट सुविधाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। एनबीएफसी.एमएफआईएन एमएफआईएन के साथ साथ आरबीआई के पास भी हेल्पलाइन हैं जिनका उपयोग किसी भी लोन लेने वाले के द्वारा अपनी किसी भी शिकायत को दर्ज करने तथा इसकी जाँच करने के लिए किया जा सकता है। वृद्धि दर्ज की जिसमें 30 सितंबर 2019 की स्थिति में कुल लोन पोर्टफोलियो जीएलपी बकाया 2,01,724 करोड़ रुपये रही जो 50 मिलियन से अधिक अंतिम ग्राहकों को सेवा दे रहा है, जिनमें से 99: से अधिक महिलाएं हैं। इस प्रकार माइक्रोफाइनेंस ने न केवल ग्रामीण परिवारों को स्थायी आजीविका विकसित करने में मदद की है, बल्कि इसने एकांत जिलों को देश के आर्थिक विकास में शामिल करने के लिए भी वित्तीय साक्षरता और टेक्नोलोजी तकनीक का उपयोग किया है।